

COS-11012/07/2026-eoffice
Government of India
Directorate General of Health Services
Central Drugs Standard Control Organisation
(Cosmetics Division)

FDA Bhawan, Kotla Road
New Delhi-110002

Date: 08 SEP 2026

Public Notice

Subject: Public Health alert against the use of unauthorised Cosmetics Products-regarding

Cosmetic products used by consumers must be safe for the public. Their manufacturing and import are regulated under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, and the Cosmetics Rules, 2020. Standards for cosmetic products are published by the Bureau of Indian Standards (BIS). To manufacture cosmetics for sale and distribution, a license must be obtained from the State Licensing Authority. For the import of cosmetics, the products must be registered with the Central Licensing Authority in accordance with the prescribed rules.

The CDSCO through test and analysis has verified that following cosmetic products are unauthorised and not been issued registration certificate for import by the competent authority for sale in India.

Goree Beauty Cream Made in Pakistan	
Chandni Whitening Cream Made in Pakistan	

The above products are unauthorised and contains excessive heavy metals beyond the specified limits which may pose health risk to the consumers including toxic effects.

In light of the above unauthorised cosmetics products, consumers are advised to:

- Not to purchase above mentioned cosmetics products
- Not to use such & similar named cosmetic products if purchased

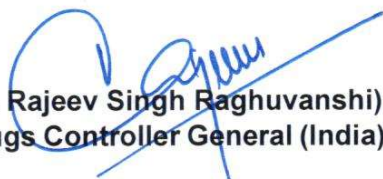
Further, the members of the public are also advised to:

- Purchase & use authorised cosmetics products containing details of manufacturing license number, manufacturer's details, batch number, date of manufacturing & expiry and Registration number (in case of imported cosmetics)
- In case of violations observed in label, report it to the respective State Drugs Controller (for the products manufactured in India) and the Drugs Controller General (India) (for the imported cosmetics products).

All concerned establishments/ individuals are also warned, not to sell, distribute or advertise aforementioned products.

All Regulatory Enforcements Units are requested to ensure that such unauthorised cosmetics products are not sold in their jurisdiction.

Yours faithfully


(Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi)
Drugs Controller General (India)

To:

1. All State/ UT Drugs Controllers
2. All Zone/ Sub-zone/ Port Offices of CDSCO
3. All stake holders & consumers through website of CDSCO

COS-11012/07/2026-eoffice
भारत सरकार
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)
(कॉस्मेटिक्स प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड
नई दिल्ली-110002
दिनांक: **08 SEP 2026**

सार्वजनिक सूचना

विषय: अनधिकृत कॉस्मेटिक (सौंदर्य) उत्पादों के उपयोग के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी के संबंध में

उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद जनता के लिए सुरक्षित होने आवश्यक हैं। इनका निर्माण और आयात 'औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940' (Drugs & Cosmetics Act, 1940) और 'कॉस्मेटिक्स नियम, 2020' (The Cosmetics Rules, 2020) के तहत विनियमित किया जाता है। कॉस्मेटिक उत्पादों के मानक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। बिक्री और वितरण के लिए कॉस्मेटिक्स का निर्माण करने हेतु राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (State Licensing Authority) से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है और कॉस्मेटिक्स के आयात के लिए, उक्त नियमों के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Central Licensing Authority) द्वारा उत्पाद का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

CDSCO ने परीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से यह सत्यापित किया है कि निम्नलिखित कॉस्मेटिक उत्पाद अनधिकृत हैं और भारत में बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) जारी नहीं किया गया है:

गोरी ब्यूटी क्रीम Goree Beauty Cream Made in Pakistan	
चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम Chandni Whitening Cream Made in Pakistan	

उपरोक्त उत्पाद अनधिकृत हैं और इनमें निर्धारित सीमाओं से अधिक मात्रा में भारी धातुएं (heavy metals) शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं, जिसमें विषाक्त प्रभाव (toxic effects) भी शामिल हैं।

इन अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों के आलोक में, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे:

- उपरोक्त कॉस्मेटिक उत्पादों को न खरीदें।

- यदि खरीद लिया है, तो ऐसे और इसी तरह के मिलते-जुलते नाम वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग न करें।

इसके अलावा, जनता के सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि:

- केवल प्रमाणित/अधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद ही खरीदें और उपयोग करें, जिनमें निर्माण लाइसेंस संख्या (manufacturing license number), निर्माता का विवरण, बैच संख्या, निर्माण और समाप्ति की तारीख (date of manufacturing & expiry) और पंजीकरण संख्या (आयातित कॉस्मेटिक्स के मामले में) का विवरण शामिल हो।
- लेबल में किसी भी प्रकार का उल्लंघन या गड़बड़ी दिखने पर, इसकी रिपोर्ट संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक (State Drugs Controller) को (भारत में निर्मित उत्पादों के लिए) और औषधि महानियंत्रक (भारत) यानी Drugs Controller General (India) को (आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए) करें।

सभी संबंधित प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों को भी चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त उत्पादों की बिक्री, वितरण या विज्ञापन न करें।

सभी नियामक प्रवर्तन इकाइयों (Regulatory Enforcements Units) से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद उनके अधिकार क्षेत्र में न बेचे जाएं।

भवदीय,

राजीव सिंह

(डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी)
औषधि महानियंत्रक (भारत)

प्रतिलिपि प्रेषित:

- सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रक
- CDSCO के सभी जोन/सब-जोन/पोर्ट कार्यालय
- CDSCO की वेबसाइट के माध्यम से सभी हितधारक (stakeholders) और उपभोक्ता